(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

सं0एफ0 9-19/2005 यू.-3

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

यू. 3 (ए) अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

21 अगस्त, 2007

अधिसूचना

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षण की किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, कनातूर, तमिलनाडु को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 1 फरवरी, 2007 के अपने पत्र संख्या एफ 6-28/2005 (सी.पी.पी.-1) सिफारिश की है कि मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, कनातूर, चेन्नई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम-विश्वविद्यालय घोषित किया जाए;

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतदद्वारा मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, कनातूर, तमिलनाडु को नई श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों पर अस्थाई रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है।

(i) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, कनातूर, तमिलनाडु के कार्यकरण तथा निष्पादन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से वार्षिक समीक्षा करेगा। पांच वर्ष की अवधि के बाद अकादमी को दिए जाने वाला 'समविश्वविद्यालय' का दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर दिया जाएगा।

(ii) उपर्युक्त घोषणा उस तिथि से लागू होगी जिस तिथि से मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, अपने को उन भारतीय विश्वविद्यालयों से अलग करता है जिसके अंतर्गत यह विस्तार केन्द्र या अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है।

(iii) यह तत्काल प्रभाव से सांविधिक परिषदों तथा मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, में उनके द्वारा आयोजित किए जाने के प्रयोजनार्थ अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा यथावत अनुमोदित पूर्ण रूप से सुसज्जित डिग्री कार्यक्रम आरंभ करेगी।

5. उपरोक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों के भी अधीन है।

6. भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान नहीं देंगे।

(सुनिल कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
2. निदेशक, दूरस्थ शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी स्टेडियम, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली 110002
4. पोत परिवहन महानिदेशक, पोतपरिवहन महानिदेशालय, भूतल परिवहन मंत्रालय, "जहाज भवन" वालचन्द हीचन्द मार्ग, मुम्बई-400038
5. अध्यक्ष, मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, 5107, एच 2, सेकेण्ड एवेन्यू, प्रथम तल अन्ना नगर, चेन्नई-600040. इस अधिसूचना के पैरा 4 में उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

(i) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की प्रबंधन समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगी कि सभी चल तथा अचल परिसंपत्तियों को यदि पहले अंतरित नहीं किया गया है तो छात्रों, संकाय सदस्यों तथा कर्मचारियों के भविष्य के हित में तथा उच्चतर शिक्षा के स्तरों के

अनुरक्षण के लिए उन्हें मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का प्रबंध करने वाले न्यास को हस्तान्तरित किया जाए। इस संबंध में वैद्य दस्तावेज की प्रति सहित इस शर्त को पूरा करने से संबंधित एक रिपोर्ट और आश्वासन शीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, सम-विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं द्वारा संचालित या संचालित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम संबंधित सांविधिक परिषदों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों के अनुरूप होंगे और मेरीन इंजीनियरी, मेरीन प्रौद्योगिकी, मेरीन इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी, नोटिकल विज्ञान तथा जहाजरानी एवं संभार तंत्र प्रबंधन जैसे विषयों तक सीमित रहेंगे। जहां कहीं भी आवश्यक हो मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी के शैक्षिक कार्यक्रमों के संबंध में पोत परिवहन महानिदेशालय, मुम्बई (भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन) जैसे अन्य संबंधित प्राधिकरणों तथा संगत सांविधिक परिषद का पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

(iii) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, जैसा भी मामला हो ऐसी कोई डिग्री प्रदान नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं है। यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है।

(iv) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, उन पाठ्यक्रमों के संबंध में डिग्री तथा डिप्लोमा केवल उन छात्रों को प्रदान करेगा जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बाद कालेजों में दाखिला लेते हैं।

(v) इस अधिसूचना की तारीख से पहले मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, में नामांकित छात्र संबंधित विश्वविद्यालय के अंतर्गत अपने अध्ययन पाठ्यक्रम जारी रखेंगे और यह विश्वविद्यालय उनके पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की परीक्षा लेगा और इस समय इन कालेजों में अध्ययन कर रहे पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरे होने पर उन्हें डिग्रियां प्रदान करेगा।

(vi) प्रासंगिक सांविधिक परिषदों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों जैसे पोत परिवहन महानिदेशक आदि द्वारा छात्रों के दाखिले, छात्रों की दाखिला क्षमता, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने, पाठ्यक्रमों के अनुमोदन का नवीकरण आदि करने के संबंध में निर्धारित किए गए सभी मानक एवं प्रकियाएं लागू रहेंगी। मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, तथा इसकी संघटक शिक्षण इकाईयां इनका कड़ाई से पालन करेंगी।

(vii) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, मेरिन इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा नाविक विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी।

(viii) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, सम-विश्वविद्यालय, अगर विद्यमान कार्यक्रम/व्यवस्था में विदेशी सरकारें/संस्थाएं को सहभागिता को बनाए रखना चाहती हैं तो, जैसा भी मामला हो वह इसका अनुमोदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त करेगा। इसलिए मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, को अपने विज्ञापनों, वेबसाइट, कार्यालयीय कागजातों आदि में यह स्पष्ट करना होगा कि इन समर्थित

अपुक 21-08-07

कार्यक्रमों/व्यवस्थाओं के माध्यमों से जो पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ix) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 13.9.2006 के परिपत्र संख्या एफ. 6-1(11)/2006 (सी पी पी-1) में निहित निर्देशों के अनुसार मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, सम-विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में संपत्तियों को उद्दिष्ट करने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना संपत्तियों का अविचलन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संपत्तियों आदि पर नियंत्रण रखने के लिए एक प्रावधान बनाने से संबंधित एक कानूनी वचन पत्र देगा।

(x) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी या ट्रस्ट, जो इसे प्रबंध करेगी, ऐसा कोई कार्यकलाप नहीं करेगा जिसका स्वरूप व्यापारीकरण करना एवं लाभ कमाना हो।

(xi) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 12 मार्च, 2007 के परिपत्र संख्या एफ 6-1(7)/2006 (सीपीपी-1) के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से वैद्य प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(xii) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दूरस्थ शिक्षा परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित नहीं करेगा। दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के मामले में विश्वविद्यालय समय-समय पर दूरस्थ शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए निदशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

(xiii) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार, जैसा भी मामला हो, के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई अध्ययन केन्द्र/कैम्पस से बाहर कोई केन्द्र नहीं चलाएंगे।

(xiv) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की विशेषज्ञ दौरा समितियों की रिपोर्टों में उल्लिखित सुझावों का कड़ाई से अनुपालन करेगा जिससे अनियमितताओं/कमियों को यदि कोई हो तो दूर किया जा सके और सुझाए गए सुधार किए जा सकें।

(xv) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, संस्थान के नियमों में अनुकूल संशोधन करेगा ताकि ट्रस्टी की 20.4.2007 को हुई अपनी बैठक में "बोर्ड प्रबंधन के अधिकार एवं संघटन" एवं उसका 'पुनरीक्षण एवं जांच' से संबंधित विनियमों को शामिल किया जा सके। समविश्वविद्यालय संस्थान भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए विशिष्ट परिवर्तन/संशोधन अगर कोई हो, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से अपने संगम ज्ञापन में शामिल करेगा।

(xvi) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि जैसी प्रासंगिक सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए सभी प्रतिकियाएं एवं दिशा-निर्देशों का पालन करेगी क्योंकि यह संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम-विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित है। पोत परिवहन निदेशालय जैसे संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानक और मानदण्ड लागू रहेंगे और उनका अनुपालन किया जाएगा।

21-08-07

5. कुलपति, तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, परिसर गिन्डी, चेन्नई 600025.। विश्वविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी में पहले से दाखिल छात्रों के संबंध में 5 (v) के अनुसार कार्रवाई करेगा।

6. कुलपति, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा रांची-835215 से आशा की जाती है कि वह मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, में पहले से नामित छात्रों के संबंध में पृष्ठांकन 5 (v) के अनुसार कार्रवाई करे।

7. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार, सचिवालय, चेन्नई-600009, तमिलनाडु।

8. कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068.

9. पत्र सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.

10. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2

11. निदेशक (प्रशासन) एवं वेबमास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। यह अनुरोध है कि सी एम आई एस एकक को निदेश दिया जाए कि वह इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

12. गार्ड फाईल/अधिसूचना फाईल।

मधुकर सिन्हा
21-08-07

(मधुकर सिन्हा)
निदेशक